

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1545 /

जबलपुर, दिनांक 28/3/2019

II-13-24/18

श्री सुरेश कुमार सविता, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को पात्रतानुसार दिनांक 12.05.17 से 29.05.17 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30.05.17 से 15.06.17 तक 17 दिन का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया जाता है।

सही /-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक C/1546 /

जबलपुर, दिनांक 28/3/2019

II-13-24/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (M0P0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1355 /स्थापना ग्वालियर, दिनांक 27/02/2019 के संदर्भ में श्री सुरेश कुमार सविता, नवगठित सेवा के सदस्य का अर्जित अवकाश एवं असाधारण अवकाश आवेदन पत्र, मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)
